

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उम्मता प्रबलता कुरुक्षेत्र जीवाजी  
विश्वविद्यालय ने आज से दो दिन तक अपने व  
सभी छात्र असौंहारी में आगे बढ़ाया।  
असौंहारी निकल जा जाए और ने वह  
वर्षावास हुआ हो जाए तो उसके बाद इस नियम  
प्रवर्तन विभाग ने उसे घोषित कर दिया था।



फ़ाइल : फ़ॉर्मालिंग  
दृष्टिकोण : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फ़ैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचार,

जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक-एक्स-सम्पर्क-2012/ 5931

दिनांक: 05/03/13

### // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने गवर्नर गवाहणा घटाए कॉलेज जॉर्क डेव्हलपमेंट एज्युकेशन विश्वविद्यालय (0751-2233378) को सत्र 2012-13 के लिये प्रत्यावित-लंबातित बीडीएस, यान्धेजगा क्रमागान्तर्जातीयों की अस्थायी रामबद्धता हेतु अवृशांसाएं प्राप्त करने के लिये माधवीय युवापति नालोद्यु-त्यावी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिकारियम् 1973 के परिविकाम 27(10) के अन्तर्गत विज्ञान्त्रुसाद लियीताज समिति का जल्द लिए हैं -

(1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिसचिव, जी.वि.डि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442603)

(2) डॉ. योगेन्द्र पहाड़िया, विभागाध्यक्ष, दब्ल्यू विफिला विभाग, जी.आट.एन.सी., ग्वालियर।

(3) प्रो. शेलेन्ड्र भवींदिया, आवार्ड, जी.आट.एन.सी. कॉलेज, ग्वालियर।

लियीताज समिति के गदरणों से अनुरोध है कि वे परिविकाम 27/28 के प्राप्तवालों के अनुरूप नहाविद्यालय का प्रत्यक्ष विदीक्षण कर खुल्क, धरेठर राशी, बांधित शैक्षणिक/अलैक्साप्रेक लॉफ, प्राथमिकत संस्का से प्राप्त अनुमति/अवधापति प्रमाण-पत्र, गवन, छंडा परिवार एवं पाठ्यक्रम-आविनेना तथा पिछले रात्र में दी गई शर्तों की पूर्ति गय प्राप्त पत्र के तथा प्राप्त-शैक्षणिक एवं अर्थात्मक स्टाफ की लियुक्तियों का प्राप्त एवं बोका आदि के बारे में व्यापक विवरण अद्वितीय होना।

स्थानी समिति की बैठक दिवांक 26 वितम्बर 2012 के एवं क्रमांक 60 (अ-अ-2) वर हिने जगे विराग्यात्मक विदीक्षण समिति द्वारा 30 दिन से नहाविद्यालय का विदीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कायालिय में विदीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (नहाविद्यालय विदीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो अक्षयी एवं भवाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी रामबद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा अस्थाय रामबद्धता चंबंधी कार्यवाही पूर्व हो राक्षी तथा शारांश के विर्द्धों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

जल्द के 45 दिवस ने Report प्राप्त न होने की स्थिति में वह माना जाएगा कि नहाविद्यालय का विदीक्षण नहीं हुआ है। विवादात्मक अवधारण जगा करके बीन अभियान गरित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में विदीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य तोगा। परिविकाम 27(1)(7) के अनुसार रामबद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विदीक्षण अभियान के लाभ सम्बद्धता द्वारा में कार्यस्त अधीक्षक / आवार्ड लाभावाक प्राप्तवाली लेकर जार्हे तथा नहाविद्यालय की वर्तुलियति से विरीक्षण समिति को गवाहत करावेगी। विदीक्षण समिति के गदरणों को दीए / जीए / अन्देश महाविद्यालय द्वारा देख होगा।

3mm/3  
कुलसंचार

प्रतिलिपि :-

1. लम्बा सदरणों की ओट सूचवार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राप्तार्थ/आव्यक्ष, संबंधित नहाविद्यालय की ओट भेजकर आगे हैं कि लियति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विदीक्षण दिवांक विधायित कर नहाविद्यालय का विरीक्षण करावें। उपर विदीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आवृद्धत उच्च शिक्षा, सतपुदा भवन, भोपाल
4. कुलसंचार के संघर्ष / कुलसंचार के विवारी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसंचार (सम्बद्धता)